जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः प-( )जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./2007/डी- 9/2 दिनांकः 5-6-07

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 38 वी बैठक दिनांकः 29.5.07 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है । बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क्र. सं0	जोन सं0	प्रस्ताव सं0	प्रस्ताव का विवरण	निर्णय
1.		38:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 37 वी बैठक दिनांकः 25.4.07 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत् ।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 37वी बैठक दिनांकः 25.4.07 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।
2.	10	38:2	आवास सं0 सी-289 पालडी मीणा योजना का आवंटन बाबत् ।	उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं. 1469/06 जविप्रा बनाम रामेश्वर प्रसाद में पारित निर्णय की पालना में जयपुर विकास आयुक्त महोदय द्वारा आदेशित किया गया कि पालडी मीणा योजना में आवास गृह संख्या सी-289 का आवंटन कर कब्जा रामेश्वर लाल धानका को संभलाया जावे तथा इसकी कार्योत्तर स्वीकृति भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति से ली जावे। माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में आयुक्त महोदय के अनुमोदन के पश्चात् प्रार्थी श्री रामेश्वर लाल धानका को पालडी मीणा योजना में आवास गृह सं. सी-289 का आवंटन पत्र, कब्जा पत्र एवं साईट प्लान जारी किया जा चुका है । तथा प्रार्थी को लीजडीड जारी की जानी हैं। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री रामेश्वर लाल धानका को पालडी मीणा योजना के आवास गृह संख्या सी-289 के आवंटन बाबत् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई ।
3.	10	38:3	ग्राम बदनपुरा में जयपुर नगर निगम को कचरा निस्तारण हेतु ट्रांसफर स्टेशन बनवाने हेतु भूमि आवंटन बाबत् ।	उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर द्वारा जयपुर शहर के कचरा निस्तारण हेतु ट्रांसफर स्टेशन बनाने के लिये ग्राम बदनपुरा के ख.न. 517 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवंटन चाहा है, भूमि मोके पर रिक्त है तथा मौके पर सडक सीमा में आने वाली 11 बिस्वा भूमि को छोडकर शेष 7 बीघा भूमि का आवंटन किया जा सकता है । मास्टर विकास योजना 2011 में उक्त भूमि का वर्तमान भू-उपयोग आवासीय है । समिति में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूमि का

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

2/8

				संस्थानिक दर पर आवंटन किया जा सकता है, परन्तु प्रकरण नगर निगम के कचरा निस्तारण हेतु ट्रांसफर स्टेशनन बनाने हेतु भूमि आवंटन से संबंधित है। अत: आवश्यकतानुसार भू-उपयोग उपान्तरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुये उचित आवंटन दर तथा उक्त 7 बीघा भूमि के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही की जावें ।
4.	10	38:4	ग्राम खो नागोरियान में यातायात पुलिस विभाग को जब्त वाहनों को खडा करने व दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के लिए भूमि तथा थर्माप्लास्ट पेन्ट की आवश्यकता बाबत् ।	उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि पुलिस अधीक्षक यातायात जयपुर ने यातायात पुलिस विभाग द्वारा जब्त वाहनों को खडा करने, व दुर्घटना ग्रस्त थानों के लिये, तथा थर्माप्लास्टर पेन्ट हेतु ग्राम खो नागोरियान तहसील सांगानेर के खं.नं. 2065 में से 4300 वर्गमीटर भूमि का आवंटन चाहा है अत: उक्त भूमि उन्हें आंवटित की जावें । समिति द्वारा विचार विमर्श कर स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि चूंकि भूमि नि:शुल्क चाही जा रही है अत: राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर तथा आवश्कतानुसार भू-उपयोग उपान्तरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुये आंवटन की कार्यवाही की जावें ।
5.	10	38:5	ग्राम चावण्ड का मण्ड में जयपुर नगर निगम को स्लाटर हाऊस व कारकस प्लान्ट हेतु भूमि आवंटन बाबत् ।	उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर द्वारा स्लाटर हाऊस व कारकस प्लान्ट हेतु ग्राम चावंड का मंड तहसील जमवारामगढ में खसरा नं 227 में से 131 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन चाहा गया है अत: उक्त भूमि उन्हें आवंटित की जावे । मौके पर उक्त भूमि पर नगर निगम द्वारा चारदीवारी, स्लाटर हाऊस व कारकस प्लान्ट के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है । मास्टर विकास योजना 2011 में उक्त भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल दर्शित है । समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूमि का संस्थानिक दर पर आवंटन किया जा सकता है, परंतु प्रकरण नगर निगम के स्लाटर हाऊस एवं कारकस प्लान्ट हेतु भूमि आवंटन से संबंधित है अत: आवश्यकतानुसार भू-उपयोग उपान्तरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुये उचित आवंटन दर तथा उक्त 131 बीघा 5 बिस्वा भूमि के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही की जावें ।
6.	11	38:6	ग्राम महापुरा तह. सागांनेर में जविप्रा की भूमि ख.नं. 1129, 1130 के आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि राजस्थान राधा स्वामी सत्संग एसोसियेशन जयपुर द्वारा उनकी स्वयं की भूमि से लगती हुई ग्राम महापुरा की जविप्रा के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 1129, ,1130 में से 827 वर्गमीटर भूमि के आवंटन की मांग की गई है अत: उक्त भूमि का आवंटन उक्त संस्था को किया जावें । प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जविप्रा के स्वामित्व की उक्त भूमि की मौके स्थिति व संभावित उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए प्लानिंग तैयार करवायी जावे तदुपरान्त ही प्लानिंग के अनुसार उक्त संस्था को नियमान्तर्गत भूमि आवंटित किये जाने पर विचार किया जाना संभव होगा ।
7.	12	38:7	ब्रिगेडियर हाऊस, सीकर रोड की 890 वर्ग मी. भूमि रोड में आने के कारण जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 3 ग्राम निवारू में से 3388 वर्ग मी0 समतुल्य भूमि विनिमय में आवंटन	उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि सीकर रोड (एन-एच-11) को चौमू पुलिया से भवानी निकेतन तक आठ लेन में विस्तारिकरण के कार्य हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, ब्रिगेडियर हाऊस, सीकर रोड की 84.70 लाख रूपये मूल्य की 890 वर्गमीटर भूमि सडक के विस्तार हेतु ली गई थी तथा रक्षा मंत्रालय व जविप्रा के मध्य हुए समझौते के अनुसार इस भूमि के बदले जविप्रा द्वारा समतुल्य मूल्य की भूमि उन्हें दी जानी है इस हेतु ग्राम निवारू तह. जयपुर की ख.नं. 3 की 21 बीघा भूमि में से 3388 वर्गमीटर समतुल्य आवासीय भूमि दिया

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

3/8

			बाबत्।	जाना प्रस्तावित किया है। ख.नं. 3 की भूमि में जविप्रा द्वारा फील्ड फायरिंग रेन्ज निवारू के विस्थापितों हेतु आवासीय योजना तैयार की जा रही है जिसमें से रक्षा मंत्रालय को 3388 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जावेगी । प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर रक्षा मंत्रालय व जविप्रा के मध्य हुए समझौते के अनुसार ग्राम निवारू तह. जयपुर की ख.नं. 3 की 3388 वर्गमीटर भूमि आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
8.	12	38:8	उपखण्ड अधिकारी कार्यालय जमवारामगढ़ हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन बाबत् ।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा उपखण्ड कार्यालय जमवारामगढ हेतु ग्राम व तह. जमवारामगढ की ख.नं. 594/2 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन किये जाने हेतु जविप्रा को पत्र प्रेषित किया है अत: उक्त भूमि का आवंटन किया जावे । मास्टर विकास योजना 2011 में उक्त भूमि का वर्तमान भू-उपयोग आवासीय है । भू उपयोग परिवर्तन आवासीय से सरकारी एवं अर्द्धसरकारी प्रयोजनार्थ किया जा चुका है तथा राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में दि. 19.01.07 को अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है । प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि चूंकि भूमि नि:शुल्क चाही जा रही है अत: राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुये आवंटन की कार्यवाही की जावें।
9.	12	38:9	नगर निगम जयपुर को ग्राम सेवापुरा तहसील आमेर में कम्पोस्ट प्लांट हेतु भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु कम्पोस्ट प्लान्ट स्थापित करने हेतु ग्राम सेवापुरा तह. आमेर के ख.नं. 1, 2, 3/2, 4/501, 165, 168, 170, 171, 172, 173, 174/519, 175, 177/482, 179/484, 180, 181, 183/520, 186, 187, 188, 189/516, 212, 214, 217, 230, एवं 230/502 किता 26 रकबा 55.98 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की मांग की गई है, परन्तु आवंटन हेतु चाही जा रही 55.98 हेक्टेयर भूमि में से ख.नं. 170 से 173, 174/519, 183/520, 175, 177/482, 179/484, 180, 181, 186, से 188 एवं 189/516 रकबा 39.80 हेक्टेयर भूमि इकजाई रूप में उपलब्ध है, शेष भूमि अलग-अलग स्थानों पर दूरी पर स्थित है ।प्रस्ताव में यह भी अंकित किया है कि 39.80 हे0 भूमि में से ख.नं. 170, 177/482, 180 की राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की किस्म क्रमश: गे.मु.पहाड, गे.मु. नाला है अत: उक्त 39.80 हे0 भूमि मे से उक्त भूमि को छोडते हुए शेष ख.नं. 172, 173, 174/519, 183/520, 175, 179/484, 181, 186 से 188, 189/516 रकबा 33.27 हे0 भूमि आवंटनकी जा सकती है । मास्टर प्लान 2011 में उक्त भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल दर्शित है । समिति में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूमि का संस्थानिक दर पर आवंटन किया जा सकता है, परंतु प्रकरण नगर निगम के नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु कम्पोस्ट प्लान्ट हेतु भूमि आवंटन से संबंधित है, तथा मास्टर प्लान 2011 में उक्त भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल दर्शित है अत: भू-उपयोग उपान्तरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुये उचित आवंटन तथा उक्त 33.27 हे0 भूमि के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही की जावें।
10	12	38:10	राजकीय विद्यालयों को भूमि आवंटन बाबत् ।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार राजकीय विद्यालयों को नि:शुल्क भूमि आंवटन किये जाते हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हे :-

क्र. सं.	नाम विद्यालय	ग्राम/तहसील	ख0नं0	क्षेत्रफल
1.	राजकीय प्राथमिक	सिरसी/जयपुर	1777	19 बिस्वा

उप0 आयुक्त (एल...) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

5/8

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>विद्यालय, खातियों की ढाणी ग्राम सिरसी ।</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गोल्यावाला</td><td>अनन्तपुरा/चौमु</td><td>1876</td><td>4000व.ग.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>राजीव गांधी प्राथमिक विद्यालय, डूंगरी तलाई ।</td><td>जैतपुरा/चौमु</td><td>865</td><td>4000व.ग.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>राजकीय प्राथमि विद्यालय, भोजवाला।</td><td>जैतपुरा/चौमु</td><td>699</td><td>2200व. मी.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बड़कोलाई ।</td><td>अनन्तपुरा/चौमु</td><td>384</td><td>4000व.ग.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अनन्तपुरा ।</td><td>अनन्तपुरा/चौमु</td><td>1084</td><td>2400व. मी.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अनन्तपुरा ।</td><td>अनन्तपुरा/चौमु</td><td>1083
1084</td><td>12000व. मी.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मंशारामपुरा ।</td><td>मंशारामपुरा/जयपुर</td><td>72</td><td>4000व.ग.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बोयतावाला ।</td><td>बोयतावाला/जयपुर</td><td>62</td><td>4000व.ग.</td></tr>
</table>
अतः विचार विमर्श उपरान्त उक्तानुसार निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु स्वीकृति इस निर्देश के साथ दी जाती है कि चूंकि सभी मामलों में उक्त भूमि का मास्टर प्लान 2011 में भू-उपयोग ग्रामीण दर्शित है अतः भू-उपयोग उपान्तरण की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुये आवंटन की कार्यवाही की जावें ।
</td></tr>
<tr><td>11</td><td>5</td><td>38:10(1)
38.10(2)</td><td>राजकीय विद्यालयों को भूमि आवंटन बाबत् ।</td><td>
उपायुक्त जोन-5 द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार विद्यालयों को निःशुल्क भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>नाम विद्यालय</th><th>आवंटित क्षेत्रफल</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>राजकीय प्राथमिक विद्यालय, शिव कॉलोनी ।</td><td>1066 वर्गगज</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>राजकीय बालिका विद्यालय सैनी कॉलोनी ।</td><td>400 वर्गगज</td></tr>
</table>
विचार विमर्श उपरान्त उक्तानुसार निःशुल्क भुमि आवंटन हेतु स्वीकृति इस निर्देश के साथ दी जाती है कि आवश्यकतानुसार भू-उपयोग उपान्तरण की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुये आवंटन की कार्यवाही की जावें ।
</td></tr>
<tr><td>12</td><td>8</td><td>38:10 (3)</td><td>सुशिक्षा हनुमंत विद्यायल गोविन्दपुरा (सांगानेर) में भूमि आवंटन बाबत् ।</td><td>
उपायुक्त जोन-8 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि जविप्रा की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक सं. 3 दि. 2.05.02 में निर्णय लिया जाकर सुशिक्षा हनुमंत विद्यालय समिति को प्राधिकरण की योजना ग्राम शिकारपुरा तह. सांगानेर में विद्यालय हेतु आरिक्षत 3500 वर्गमीटर भूमि में से 1000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने की अभिशेषा की गई थी । संस्था द्वारा रियायती दर पर भू-आवंटन की मांग किये जाने पर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प-3/नविवि/3/2004 दिनांक 6.01.06 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में निर्धारित शर्तो पर 1000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया गया है तथा आवंटित भूमि के पेटे सम्पूर्ण राशि जमा हो जाने के पश्चात् लीजडीड जारी कर दी गई है अतः प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जावे ।
प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
</td></tr>
</table>

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

13	9	38:10 (4)	सेन्ट्रल स्पाईन जगतपुरा (गोनेर रोड) पर पट्रोल पम्प हेतु भूमि आवंटन बाबत् ।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि बी.पी.सी.एल. द्वारा सेन्ट्रल स्पाईन जगतपुरा में पेट्रोल पम्प हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या एस-44 क्षेत्रफल 5445-46 वर्गमीटर भूमि में से 1200 वर्गमीटर भूमि का पेट्रोल पम्प हेतु आवंटन चाहा जा रहा है । प्रकरण पूर्व में एल.पी.सी. की 36 वी एवं 37 वीं बैठक में भी प्रस्तुत हुआ था । 37 वीं बैठक दि. 25.04.07 में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया था कि उक्त भूखण्ड ग्राम महल के ख.नं. 230, 231, 231/807 पर सृजित है, भूमि रीको द्वारा अवाप्त की गई है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी रीको द्वारा दि. 15.12.2000 को उक्त भूमि का अवार्ड जारी किया है, भूमि का कब्जा वर्तमान में रीको के पास है, जविप्रा को अभी तक उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है । जब तक भूमि जविप्रा के नाम नहीं आ जाती तब तक आंवटन किया जाना संभव नहीं है । भूमि का स्वामित्व जविप्रा के नाम आने के पश्चात् ही प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जावें। उपायुक्त द्वारा प्रस्ताव में यह भी अंकित किया है कि भूमि से संबंधित खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूमि प्राप्त करने के संबंध में दायर 5 रिट याचिकाएं निरस्त हो चुकी है, तथा दिनांक 21. 05.07 को भूमि रीको के नाम हो चुकी है । दिनांक 15.02.05 को रीको एवं जविप्रा के मध्य हुए एम.ओ.यू. के आधार पर उक्त भूमि जविप्रा के हिस्से में आई है । उक्त भूमि का वर्तमान में मास्टर विकास योजना 2011 में भू-उपयोग मिश्रित दर्ज है तथा सेन्ट्रल स्पाईन योजना अनुमोदित है, के अनुसार भूखण्ड पेट्रोल पम्प हेतु आरिक्षत है अत: भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नही बताई है । प्रस्ताव में यह भी अंकित किया है कि उक्त 1200 वर्गमीटर भूमि पेट्रोल पम्प हेतु बी.पी.सी.एल. को आवंटन करना प्रस्तावित हैं । बी.पी.सी. एल. अनु. जाति की श्रेंणी में नहीं आता है परन्तु आशय पत्र (एल.ओ. आई) धारक अनु. जाति वर्ग की महिला है । पूर्व एच.पी.सी.एल. को इसी प्रकार के मामले में जविप्रा द्वारा ग्राम श्री किशनपुरा में 900 वर्गमीटर भूमि का आवंटन पेट्रोल पम्प हेतु जोन की वाणिज्यिक आरक्षित दर पर किया जा चुका है अत: तदनुसार दर पर ही बी.पी.सी.एल. को भूमि आवंटन की जावे। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर सेन्ट्रल स्पाईन जगतपुरा के भूखण्ड संख्या एस-44 क्षेत्रफल 5445-46 वर्गमीटर में से 1200 वर्गमीटर भूमि नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दि. 4.07.89 तथा दि. 28.9.91 के प्रावधानो एवं उपशासन सचिव नविवि के आदेश दि. 12.06.06 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जोन की वाणिज्यिक आरक्षित दर पर बी.पी.सी. एल. को पेट्रोल पम्प हेतु आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
14	11	38:10 (5)	ऑपरेशन गुरूकुल अभियान 2005 के अन्तर्गत 41 राजकीय विद्यालयों को विद्यालय भवन/खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन नि:शुल्क किये जाने के स्वीकृति बाबत्।	उपायुक्त जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि एल.पी.सी. की 36वीं एवं 37वीं बैठक में राजकीय विद्यालयों को भूमि आवंटन की स्वीकृति इस निर्देश के साथ दी गई थी कि राजकीय विद्यालयों को नि:शुल्क भूमि आवंटन किय जाने के क्रम में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे । चूंकि सभी विद्यालयों को राज्य सरकार के परिपत्र दि. 14.02.05 के अनुसार भूमि आवंटित की गई है तथा दि. 14.02.05 के परिपत्र के बिन्दु सं. 15 के अनुसार निर्धारित सीमा तक राजकीय विद्यालयों को भूमि का नि:शुल्क आवंटन किये जाने का प्रावधान है अत: उक्त प्रकरणों में क्या राज्य सरकार की स्वीकृति लिये जाने की आवश्यकता रह जाती है अथवा नहीं पर निर्णय हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । प्रस्ताव में यह भी अंकित किया है कि भूमि आवंटन के उक्त

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				प्रकरणों में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् ही आवंटन पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जावे अथवा भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही समानान्तर रूप से करते हुए आवंटन पत्र जारी कर दिये जावें । प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक: प-3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 14.02.05 के बिन्दु सं. 15 के अनुसार राजकीय विद्यालयों को निर्धारित सीमा तक निःशुल्क भूमि आवंटित किये जाने के प्रावधान के क्रम में पूर्व में दि. 14.02.05 अथवा इसके पश्चात् जविप्रा द्वारा राजकीय विद्यालयों को किये गये भूमि आवंटन के सभी प्रकरणों में आवंटन की जाने वाली निर्धारित सीमा तक निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया तथा माननीय राज. उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् ही आवंटन पत्र जारी किये जावें ।
15	12	38:10 (6)	साहित्य सदार्वत समिति को भूमि उपलब्ध कराने बाबत् ।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि एल.पी.सी. की 24 वीं बैठक दि. 21.12.05 में साहित्य सदावर्त समिति को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम राजावास तह. आमेर के ख.नं. 251, 254, 255 से 261, 610, 613, से 619 क्षेत्रफल 17.75 हे0 में से 15 हे0 भूमि का सशर्त आरक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया था । शर्त के अनुसार संस्था को भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से संस्थानिक प्रयोजनार्थ उपान्तरण की कार्यवाही 3 माह की अवधि में पूर्ण करवाई जानी थी। एल.पी.सी. की 28वीं बैठक निर्णय दि. 18.03.06 मे 3 माह तथा 34वीं बैठक निर्णय दि. 28.11.06 में उक्त अवधि को 6 माह तक बढाया गया उक्त प्रकरण में भू-उपान्तरण की कार्यवाही के अन्तर्गत जविप्रा अधिनियम की धारा 25(3) की कार्यवाही पूर्ण होकर 25(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रेषित किया जा चुका है, चूंकि उक्त पूर्व में बढाई गई अवधि दि. 27.05.07 को पूर्ण हो चुकी है, अतः 6 माह की अवधि और बढाई जावें। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर 6 माह की अवधि और बढाये जाने का निर्णय लिया गया ।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई ।

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

7/8

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3- महापौर, जयपुर नगर निगम, जयपुर
4- प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर
5- श्री सुरेन्द्र पारीक, विधायक, हवामहल
6- श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, विधायक, फागी
7- श्री मोहन लाल गुप्ता, विधायक, किशनपोल
8- प्रो0 बीरू सिंह राठौड़, विधायक, बनीपार्क
9- श्री कालीचरण सर्राफ, विधायक, जौहरी बाजार
10- श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक, बस्सी
11- श्री नवरतन राजौरिया, विधायक, सांभर
12- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
13- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
14- जिला कलक्टर, जयपुर
15- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
16- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
17- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
18- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
19- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
20- निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
21- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
22- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
23- उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
24- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
25- रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
एवं
नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

8/8

परिशिष्ट–'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति–पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 38 वी बैठक दिनांक: 29.5.07 में उपस्थिति रहे अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों की सूची:-

क्रम सं.	नाम अधिकारियों मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री डी.बी.गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेन्द्र पारीक, माननीय विधायक	सदस्य
3.	श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, माननीय विधायक	सदस्य
4.	श्री एल.सी.असवाल, सचिव, जविप्रा, जयपुर	सदस्य
5.	श्री कौमुदी गुप्ता, निदेशक (वित्त)	सदस्य
6.	श्री रामनिवास मीणा, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
7.	श्री नरेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	सदस्य सचिव
8.	श्री एन.के.खींचा अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
9.	श्री वासुदेव शर्मा, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
11.	श्री एस.सी. शर्मा, तहसीलदार, जोन–10	विशेष आमंत्रित
12.	श्री पुष्कर राज शर्मा, तहसीलदार, जोन–12	विशेष आमंत्रित

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर